रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2016/ज्येष्ठ 26, 1938
No. 415] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2016/ JYAISTHA 26, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2016

सा.का.नि. 603(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (चतुर्थ संशोधन) स्कीम, 2016 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल स्कीम कहा गया है) के पैरा 12 में, -

(क) उप पैरा (7क) में,-

(i) "वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में" शब्दों और अंकों का लोप किया जाए ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"परंतु इस उप पैरा के अधीन एक हजार रूपए की न्यूनतम पेंशन 1 सितंबर, 2014 से ही निम्नलिखित के अध्यधीन संदेय होगा –

(i) 26 सितंबर, 2008 से पहले इस स्कीम के विस्तारित उपबंधों के अधीन सदस्यों द्वारा लिए गए संराशीकरण के फायदे और पूंजी के प्रतिलाभ के मद्धे कटौतियां ; और

(ii) उप पैरा (7) के अधीन प्रारंभिक पेंशन के मद्धे कटौतियां ।"।

3. मूल स्कीम के पैरा 16 में,-

(अ) उप पैरा (2) में खंड (क) के उपखंड (v) में "वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में" शब्दों और अंकों का लोप करें ;

(आ) उप पैरा (3) में खंड (ख) के परंतुक में "वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में "शब्दों और अंकों का लोप करें ;

(इ) उप पैरा (3) में खंड (ख) के परंतुक में "वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में "शब्दों और अंकों का लोप करें ।

[फा. सं. आर-15025/3/2007-एसएस-II (जिल्द-II)(भाग-II)]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 533(अ) तारीख 19 मई, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2016.

G.S.R. 603(E).—In exercise of the powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely :-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Fourth Amendment) Scheme, 2016.

(2) It shall come into force with effect from the 1st day of April, 2015.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995 (hereinafter referred to as the principal scheme), in paragraph 12,-

(a) in sub-paragraph (7A),-

(i) the words and figures "for the financial year 2014-15" occurring at the end shall be omitted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that, on and from the 1st day of September, 2014, the minimum pension of one thousand rupees payable under this sub-paragraph shall be subject to-

(i) deductions on account of benefits of commutation and return of capital taken by members under the extant provisions of this scheme prior to 26th September, 2008; and

(ii) deductions on account of early pension under sub-paragraph (7).".

3. In the principal scheme, in paragraph 16,-

(A) in sub-paragraph (2), in clause (a), in sub-clause (v), the words and figures "for the financial year 2014-15" shall be omitted;

(B) in sub-paragraph (3), in the proviso to clause (b), the words and figures "for the financial year 2014-15" shall be omitted;

(C) in sub-paragraph (4), in the proviso to clause (a), the words and figures "for the financial year 2014-15" shall be omitted.

[No. R-15025/3/2007-SS-II (Vol-II)(Pt.II)]
MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Note : The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(i) vide notification number G.S.R. 748(E) dated 16th November, 1995 and was lastly amended vide notification No. G.S.R. 533(E) dated the 19th May, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.